

आदेश अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक

1	2	3
	<p>प्रकरण पेश</p> <p>आवेदक/आवेदिकापिता/पतीनिवासीद्वारा विमुक्त/घुमकड़/अर्धघुमकड़ प्रमाण पत्र हेतु केन्द्र लोकसेवा केन्द्रमें आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ब्रकरण लोक सेवा केंद्रसे रजिस्टेसन नंबर RS..... के साथ दस्ता वेज सहित प्राप्त । आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की जांच हेतु तहसीलदार/नायबतहसीलदार बृत्तको भेजा जाए।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला (म. प्र.)</p> <p>प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से जांच हेतु प्राप्त ।</p> <p>हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त आवेदक/आवेदिका के आवेदन पत्र के सम्बध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त !</p> <p>म. प्र. शासन द्वारा जारी एवं शर्त निम्नानुसार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. म. प्र. शासन का पत्र क्रमांक एफ 12/02/2018/62 भोपाल दिनांक 04/10/2018 राज्य विमुक्त /घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जाति विकास अभिकरण के प्रस्ताव अनुसार घुमकड़ /जनजाति की सूची के क्रमांक 30 जिस पर धनगर उल्लेखित है। 2. उपसंचालक विमुक्त/ घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति विकास भोपाल का पत्र क्रमांक <u>3402/अभिकरण 2018–19</u> दिनांक 12/10/2018के द्वारा जिला में विमुक्त/घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने संबंधी आवस्यक निर्देश संबधित अनुविभागीय अधिकारी को देने का कष्ट करें । 3. म. प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 7.42/2012/आप्र/एफ भोपाल दिनांक 31 अगस्त 2019 के द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुशर एवं हल्का पटवारी/सरपंच के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक/आवेदिकापिता/पतीजातिजो विमुक्त /घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ श्रेणी में आते हैं एवं सूची के अनुसार इनकी जाति क्रमांक पर अंकित है । प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)सादर सम्प्रेसित है । <p>तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिला (म. प्र.)</p> <p>तहसीलदार/नायब तहसीलदार के प्रतिबेंदन से सहमत होते हुए आवेदक/आवेदिका को जो विमुक्त /घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ श्रेणी जाति के होने से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रकरण दाखिला अभिलेखागार हो ।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला (म. प्र.)</p>	

परिशिष्ट-‘दस’

**विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने
हेतु आवेदन पत्र**

(अव्यवस्क की स्थिति में आवेदन पत्र माता/पिता/पालक की ओर से प्रस्तुत किया जाय)
प्रति,

अनुचिभागीय अधिकारी,
अनुभाग -
जिला..... (म.प्र.)

महोदय,

निवेदन है कि मुझे खयं/मेरे पुत्र/पुत्री को विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति
को दी जा रही शैक्षणिक सुविधाओं एवं अन्य आर्थिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये
विमुक्त/घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जाति का सदस्य होने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है -

1. आवेदक का पूरा नाम -
आवेदक के पिता का पूरा नाम -
2. उस व्यक्ति का नाम एवं आवेदक के सम्बंध जिसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।
नाम पिता का नाम
जन्म तिथि आवेदक से सम्बंध
3. निवासी का पूता पता (ग्राम/नगर, पटवारी हल्का नम्बर, तहसील जिला सहित)
 - 1) वर्तमान पता
.....
 - 2) स्थाई पता
.....
4. आवेदक/आवेदक का परिवार मध्यप्रदेश में कब से निवास करता है ?
.....
5. यदि आवेदक ने मध्यप्रदेश में ही स्थान परिवर्तन किया है तो उसका विवरण -
.....
(कहाँ कहाँ रहे उसका पता एवं अवधि)
6. आवेदक की जाति/विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ का नाम (उप जाति सहित)
.....

7. क्या इस आवेदन के प्रत्युति के पूर्व परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहन/दादा के नाम से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है? यदि हां तो उसका विवरण एवं फोटो प्रति जारी करने वाले कार्यालय का नाम संलग्न करें)

नाम

.....
जिला का नाम जारी करने का दिनांक

8. आवेदक द्वारा अपनी जाति तथा निवासी सम्बंधी प्रत्युत किये गये अभिलेखों का विवरण -

.....
.....

टीप :-

1. विमुक्त/घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र हेतु सम्बंधित सरपंच/पटवारी/पार्षद में से किसी एक का 'प्रारूप-दो' में प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए। इसके अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य पिता/चाचा/बहन/दादा के इस जाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र/शिक्षा सम्बंधी प्रमाण-पत्र/शासकीय अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/रशन कार्ड/अचल सम्पत्ति (भू-अभिलेख) रिकार्ड (यदि उपलब्ध हो) तो संलग्न करें।

2. आवेदक/उनके पालक/अभिभावक ख्याल सुनिश्चित करेंगे कि वे जिस जाति के सदस्य होने के प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उसकी पात्रता रखते हैं। यदि किसी प्रकरण में यह साबित होता है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। उसकी ब्याज वसूली की जायेगी और दण्डात्मक कार्यवाही भी जा सकेगी।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसान सत्य और मैं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति वर्ग के लिये घोषित सुविधायें प्राप्त करने की पात्रता धारण करता हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाती है तो विधि एवं नियमों के अधीन उपरोक्त टीप के क्रमांक-2 में वर्णित कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये मैं ख्याल उत्तरदायी रहूँगा।

स्थान -

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम तथा पता

परिशिष्ट-‘ग्यारह’

विमुक्त, घुम्मकड़ तथा अर्द्ध घुम्ककड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र के लिये

घोषणा पत्र

(अव्यवरक की स्थिति में माता/पति/पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

1. नाम (जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है) -
2. पिता का नाम -
3. आयु -
4. जाति/उपजाति -
5. सरनेम -
6. धर्म -
7. व्यवसाय -
8. पता -

मैं शपथपूर्वक कथन/घोषणा करता/करती हूँ कि -

1. मैं यह शपथ पत्र घोषणा पत्र स्वयं के/अपने पुत्र/पुत्री
(नाम) के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।
2. मैं मध्यप्रदेश शासन, आदित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.09.1963 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित विमुक्त, घुम्ककड़ एवं अर्द्ध घुम्ककड़ जातियों की सूची के क्रमांक पर अंकित जाति का सदस्य हूँ।
3. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध **आपराधिक/दण्डात्मक** कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान -

दिनांक -

शपथकर्ता/घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-'बारह'

विमुक्त, घुम्मकड़ तथा अर्द्ध घुमककड़ जाति के जाति के सदस्य होने का प्रमाणीकरण

श्री/श्रीमति/कुमारी पिता श्री
एवं माता श्रीमती निवासी ग्राम/नगर
तहसील जिला (मध्यप्रदेश) को मैं व्यक्तिगत रूप
से विगत वर्षों से जानता/जानती हूँ। श्री/श्रीमति/कुमारी
पिता/पति का नाम नाम जाति का/की
सदस्य हैं और इस जाति को मध्यप्रदेश राज्य में विमुक्त/घुमककड़/अर्द्ध घुमककड़ जाति के रूप
में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह सूची क्रमांक के अनुक्रमांक पर
अंकित है।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर

नाम
पदनाम (सील)
1. पार्षद (शहरी क्षेत्र) वार्ड क्रमांक
नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम
.....
2. सरपंच (ग्रामीण क्षेत्र) ग्राम पंचायत
विकासखण्ड
3. पटवारी हल्का नं.
तहसील जिला (म.प्र.)

परिशिष्ट-'तेरहा'

(विमुक्त, घुम्मकड़ तथा अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिये)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश की पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्र
स्थायी जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी पिता
श्री एवं माता श्रीमती निवासी ग्राम/नगर
..... तहसील जिला
(मध्यप्रदेश) जाति का/की सदस्य हैं और इस
जाति को मध्यप्रदेश राज्य में विमुक्त/घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया
गया है और यह सूची क्रमांक के अनुक्रमांक पर अंकित है। यह प्रमाण पत्र
सरपंच ग्राम पंचायत पटवारी हल्का नं./पार्षद वार्ड क्रमांक
श्री के प्रमीणकरण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

स्केन सील

पदभित्त अधिकारी के हस्ताक्षर (एकेन्ड)

नाम.....

पदनाम.....

स्थान -

दिनांक -